कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी,फर्रूखाबाद।

संख्या 6323 /आ0ले0–जि0अ0/कार्यालयादेश–2014 दिनांक जून २७,2014

कार्यालयादेश

जनपद फर्रूखाबाद के समस्त कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में आने वाले अन्य विभागों के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है कि जनपद के समस्त कार्यालयों के परिसर में धूम्रपान एवं तम्बाकू,पान,गुटखा,खैनी आदि का सेवन निषिद्व किया गया है। अतः सरकारी कार्यालय व उनके परिसरों में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी धूम्रपान एवं तम्बाकू,पान,गुटखा,खैनी आदि का सेवन करता हुआ पाया जायेगा तो उसके विरूद्व 200/–रू0 जुर्माना के साथ–साथ कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्यवाही भी की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

तद्नुसार सभी सम्बन्धित अवगत हों और अनुपालन सुनिश्चित करें।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपिः–

1– जनपद स्तरीय अधिकारियों को अनुपालनार्थ हेतु।

2– प्रभारी अधिकारी,नजारत/नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट फर्रूखाबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा सभी सम्बन्धित को अवगत करायें।

3– जिला सूचना अधिकारी, फर्रूखाबाद को इस निर्देश के साथ कि उक्त का निश्शुल्क प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।